

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

खण्ड-3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक- 0771 2331385, फ़ैक्स-0771 2445215 ई-मेल cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./सेजेस एडमिशन/2023-24/...

नवा रायपुर, दिनांक 05/04/2023

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय:- स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन विषयक।

—00—

विषयांतर्गत प्रदेश में पूर्व सत्र में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तथा 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय संचालित थे तथा सत्र 2023-24 में प्रदेश में नये 101 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु बजट में स्वीकृति की गई है।

इन समस्त विद्यालयों में सत्र 2023-24 में छात्र-छात्राओं के एडमिशन हेतु सेजेस पोर्टल दिनांक 10.04.2023 से प्रारंभ कर दी जायेगी। एडमिशन हेतु समय निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. प्रवेश हेतु आवेदन तिथि - 10 अप्रैल से 05 मई 2023 तक।
2. अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आबंटन - 05 मई से 10 मई 2023
3. एडमिशन की अन्य आवश्यक कार्यवाही - 11 मई से 15 मई 2023

A. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे :-

1. इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा।
2. एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा।
3. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राज्य में पूर्व से चल रहे अंग्रेजी माध्यम के 152 प्राथमिक तथा 153 पूर्व माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाये।
4. मान. मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार "महतारी दुलार योजना" अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा। एडमिशन हेतु आवेदन पत्र साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जायेगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी।
6. बी.पी.एल. एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जायेगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात् कम्प्यूटर के माध्यम से रैंडमली चयन किया जायेगा।
8. रिक्त सीट के विरुद्ध अधिक पात्र आवेदक होने पर लॉटरी से चयन किया जायेगा।
9. कक्षा पहली में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 31 मई 2023 की स्थिति में 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होनी चाहिये।

B. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे :-

1. इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा।
2. उसी विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
3. एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा।
4. मान. मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार "महतारी दुलार योजना" अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा। एडमिशन हेतु आवेदन पत्र साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
5. कन्या विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालयों में सह शिक्षा होगी तथा इनकी प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जायेगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी।
6. बी.पी.एल. एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जाएगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 25 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात् कम्प्यूटर के माध्यम से रैंडमली चयन किया जायेगा।
7. स्कूल की क्षमता अनुसार प्रवेश देने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाले सोसायटी को होगा।
8. कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात् कम्प्यूटर के माध्यम से रैंडमली चयन किया जायेगा।
9. इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश सोसायटी के निर्णय अनुसार लिये जायेंगे।


03-04
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/2793/सेजेस एडमिशन/2023
प्रतिलिपि :-

सूरजपुर, दिनांक 05.10.2023

1. प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. चेन्द्रा/जरही/उमेश्वरपुर/रामानुजनगर/बसदेई/केतका जिला - सूरजपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ कर लेख है कि निर्देशानुसार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश देना सुनिश्चित करें।


जिला शिक्षा अधिकारी 23
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)